

कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर

क्रमांक:-ई-मेल

दिनांक:-07.04.2021

श्रीमान् अति. महानिदेशक पुलिस
(अपराध शाखा) राजस्थान जयपुर।

विषय:- सीएम हेल्पलाईन 181 परिवारी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवार के संबंध में।
प्रसंग:- सीएम हेल्पलाईन संख्या 12203719157141 दिनांक 30.03.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीय पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सी.एम. हेल्पलाईन 181 परिवारी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवार की जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात (उत्तर) जयपुर से करवाई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट परिवार के संबंध में परिवारी से वार्ता करने पर परिवारी ने बताया कि यह शिकायत मैंने थाने को भेजी है मेरी शिकायत यातायात पुलिस से सम्बन्धित नहीं है सम्बन्धित को भिजवा दो। यातायात पुलिस जयपुर द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको के विरुद्ध नियमानुसार एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

सहायक पुलिस आयुक्त (प्रोटोकॉल)
नोडल अधिकारी यातायात जयपुर